

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान परमणीत कौर बनाम विमल सिंह आदि

प्रकरण संख्या 46 / 2022 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश पालना में जारी
२१/१३	<p>प्राचीगण व प्राचीगण अधिकारिता उपरिचत नहीं। प्राचीगण व प्राचीगण अधिकारिता को तक-२ कर उबार आवाज लागवाई गई कोई उपरिचत नहीं आया। प्राचीगण का पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA अदम्य पेशवी अदम्य हावरी में खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्वाची निषेधाज्ञा दिनांक 29/06/22 भी निरस्त की जाती है। पत्रावली विणीति होकर नम्बर से कम होकर वापिल पकतर हो।</p>	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर